जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 31.03.2023

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 31.03.2023 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आरिफ पुत्र मोहर्रम निवासी किदवई नगर थाना कोतवाली जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 31.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.शाहरूख उर्फ फारुख पुत्र अलीमुदीन निवासी मौहल्ला नई बस्ती खैलकलां कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी की 01 मोटर साईकिल एच.एफ. डीलक्स न0-UP-19B-6523 रंग काला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना कैराना जनपद शामली।

2.हे0का0 वरणकार नागर थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 संदीप कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियो के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में छेड़छाड़ के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2020 में थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त पप्पन पुत्र बाजा निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा नाबालिग के साथ छेडछाड की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 594/2020 धारा 354B भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज दिनांक 31.03.2023 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना शामली द्वारा छेडछाड के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 354B भादवि में 03 वर्ष के कारावास की सजा व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अदा न करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा एवं धारा 7/8 पोक्सो में 05 वर्ष के कारावास की सजा एवं 5000 रूपये का अर्थदंड, अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में हत्या करने के मामले में 04 हत्याभियुक्तों को माननीय न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा सुनाई आजीवन कारावास की सजा एवं 95 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया।</u>

वर्ष 2005 में थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण 1.सतेन्दर पुत्र सुल्तान 2.शक्ति पुत्र सुन्दर सिंह 3.संजय कुमार पुत्र तोफा सिंह 4.सुन्दरा पुत्र सुल्ताना निवासीगण ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा गांव के ही पदम सिंह पुत्र प्रेम सिंह की हत्या कर दी थी। मृतक के परिजन द्वारा थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 242/2005 धारा 302,120 B,34 भादवि में थाना कैराना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये थे । **इसी क्रम में आज दिनांक 31.03.2023 को माननीय न्यायालय ADJ-5 कोर्ट मु0नगर द्वारा उपरोक्त हत्याभियुक्तों को धारा 302/120B भादवि (हत्या करना/आपराधिक षडयन्त्र) में आजीवन कारावास की सजा एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा अभियुक्त सतेन्दर, शक्ति, संजय उपरोक्त को धारा 25/27 आयुध अधिनियम में 02-02 वर्ष के कारावास की सजा एवं 05-05 हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।** अर्थदंड अदा न करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी है।